

महत्वपूर्ण एवं खास

डोमेस्टिक डाटा एंटी आपरेटर एवं ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज में करा सकते हैं पंजीयन

रायगढ़। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत रायगढ़ जिले के लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में डोमेस्टिक डाटा एंटी आपरेटर एवं ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में निःशुल्क गैर अवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 10 वीं/12 वीं कक्षा एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिक्षार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु लाईवलीहुड कॉलेज रायगढ़ मोबाईल नं 9752658995 एवं 9522951210 से संपर्क कर सकते हैं।

आयुर्वेद कार्यालय में हर गुरुवार को वृद्ध नागरिकों के लिए हो रहा सियान जतन क्लीनिक का संचालन

रायगढ़। संचालनालय आयुष रायपुर के निर्देशानुसार आयुष विभाग रायगढ़ जिले के अधीनस्थ संचालित शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, रायगढ़, आयुषविंग, स्पे.थे.से.पुसौर, स्पेशलिटी क्लीनिक, शास. आयु. होम्यो, औषधालय, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संस्थाओं में प्रत्येक गुरुवार को वृद्ध नागरिकों के लिए सियान जतन क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 60 वर्ष के अधिक उम्र के मरीजों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, पंचकर्म चिकित्सा, पैथोलॉजी, योगा आदि की सुविधाएं दी जाएगी। साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी औषधि/काढ़ा आदि का वितरण भी किया जा रहा है।

छत के एल्वेस्टर सीट को तोड़कर ज्वेलरी दुकान संचालक के घर चोरी, चक्रधरनगर थाना क्षेत्र की घटना

रायगढ़। दिनांक 11/05/2022 को थाना चक्रधरनगर में बड़े अतरमुड़ा में ज्वेलरी दुकान के संचालक प्रशांत मंडल द्वारा उसके घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता प्रशांत मंडल पिता सिद्धी नाथ मंडल उम्र 37 वर्ष निवासी चक्रधरनगर बड़े अतरमुड़ा मांझापारा जिला रायगढ़ बताया कि उसका मूल निवास ग्राम निस्वीतपुर वेस्ट बंगाल जिला वेस्ट मैदनीपुर थाना दासपुर है। रायगढ़ टीन्ही टावर रोड में बी एस एन एल कालोनी के सामने मां ज्वेलर्स नाम से दुकान है सोनारी काम करता है। दिनांक 28.04.22 को घरेलू काम से दोनो पत्नी घर में ताला लगाकर अपने मूल निवास वेस्ट बंगाल चले गये। दिनांक 10.05.22 को प्रशांत मंडल अकेले घर वापस आया देखा घर के समान अस्त व्यस्त बिखरे पड़े थे अलमारी और घर में अपने समानों की जानकारी लिया तो घर में रखे सोने का डल्ला, सोने के जेवर गले का मोती माला, लांकेट सोने का, कान का टाप्स, शंखा चूड़ी सोने का डिजाइन किया हुआ, एवं चांदी का पायल लगभग 400 ग्राम को कोई चोर घर के छत के सीट को उठा कर घर अंदर घुस कर चोरी कर ले गया है। थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध नकबजनी का अपराध दर्ज कर माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही है।

नाबालिग बालिका को शादी का विश्वास दिलाकर युवक ने किया दैहिक शोषण अब दूसरी युवती है शादी की तैयारी, युवक गिरफ्तार

पुलिस चौकी ठेरुमा क्षेत्र की घटना, आरोपी को पाँक्सो एक्ट में भेजा जाएगा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 11/05/20 22 को पुलिस चौकी ठेरुमाखुर्द में चौकी क्षेत्र की नाबालिग बालिका अपने परिवारों के साथ आकर उसके गांव के पंकज माझी (उम्र 21 वर्ष) के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शादी के संबंध बनाने व अब शादी से इंकार करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीडित बालिका बताई कि वह अपने रिश्तेदार के घर रह कर पढ़ाई कर रही है। 09 दिसंबर 2020 की रात पंकज माझी घर के परछी से उठाकर

राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज कर निराकरण में लाएं तेजी-संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग

अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण के लिए निर्देश
धरमजयगढ़ तहसील कार्यालय के निरीक्षण में पहुंचे संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग

रायगढ़। संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के अनुविभागीय व तहसील कार्यालय के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्व से जुड़े कामकाज की समीक्षा की। एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार न्यायालय में लंबित व निराकृत प्रकरणों की उन्होंने जांच की। इस दौरान उन्होंने राजस्व अभिलेखों के संधारण का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कानूनगो शाखा के प्रभारी कर्मचारी को शोकाज नोटिस

जारी करने के निर्देश दिए तथा अगले 15 दिनों में सभी पंजीयों को अद्यतन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत डॉ. रवि मित्तल, अपर कलेक्टर आर.ए. कुरुकुंशी, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर अखिलेश साहू भी उपस्थित रहे।



संभाग आयुक्त डॉ. अलंग ने तहसील कार्यालय के स्टॉफ को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व मामलों का समय से निराकरण करना सभी राजस्व अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व है। अतः तहसील अंतर्गत लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। उन्होंने पटवारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई और एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी के लिए पटवारियों से समय से प्रतिवेदन लिया जाए। संभाग आयुक्त डॉ. अलंग ने

तहसीलदार न्यायालय अंतर्गत सिविल मामलों के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरणों के आर्डर शीट का अवलोकन किया। कुछ प्रकरणों में पटवारी से प्रतिवेदन अपेक्षित होने पर समय से उसे मंगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले किसान तथा अन्य पक्षकारों को जल्द से जल्द उनके प्रकरण का निराकरण करके दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2 की जानकारी ली। उन्होंने नायब तहसीलदार न्यायालय के

प्रकरणों की भी समीक्षा की। साथ ही नाजिर शाखा, आवक-जावक, माल जमादार, कानूनगो शाखाओं के काम-काज का भी निरीक्षण किया।

इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर डिगेश पटेल, एसडीएम धरमजयगढ़ सीमा पात्रे, तहसीलदार भोजराम डहरिया, प्र.तहसीलदार छाल बाज, नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा व अर्पण कुरें सहित तहसील कार्यालय के समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे।

प्रकरण ऑनलाईन दर्ज करें व समय-सिमा में उनका निराकरण सुनिश्चित हो, राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने दिए निर्देश। संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग ने धरमजयगढ़ जनपद कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुविभाग

अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिसके तहत उन्होंने अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, बंटवारा, जैसे प्रकरणों की तहसीलदार जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज करने तथा समय-सिमा में उनके निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन का समुचित परीक्षण कर प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिससे आवेदक का प्रकरण जल्द निराकृत हो। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की रूटिन में समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिससे कार्य में कसावट आए।

संभागायुक्त डॉ. अलंग ने भगवती नायक को सौंपा नामांतरण का दस्तावेज अपने दौरे के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय पहुंचे, लोगों से भी चर्चा की।

जिसमें धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम ओंगना की भगवती नायक भी पहुंची हुयी थी। उन्होंने चर्चा के दौरान संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग को बताया कि वे अपने इस काम के सिलसिले में पहली बार तहसील कार्यालय में आयी है वो भी अपना कार्य पूर्ण होने के पश्चात दस्तावेज लेने के लिए। संभाग आयुक्त डॉ. अलंग ने जब उनसे इस बारे में विस्तार से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में पटवारी को फौती नामांतरण के लिए आवेदन दिया था। जिसका निराकरण ई-नामांतरण प्रक्रिया के तहत हो गया है। इसके लिए उन्हें तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज उन्होंने तहसील कार्यालय में प्रथम बार सीधे अपने दस्तावेज लेने आयी है। उन्होंने राजस्व प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उसे नागरिकों के लिए श्रम व समय की दृष्टि से बेहद सुविधाजनक बताया।

शादी घर में लड़की के पिता से मोहल्ले के उत्पाती लड़कों ने शराब की मांगकर की मारपीट

दो अपचारी बालक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, बलवा का अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 11/05/2022 को चौकी जुटमिल में पुनीराम कुरें पिता मनीराम कुरें उम्र 43 वर्ष निवासी काशीराम चौक गांधी नगर द्वारा उसके मोहल्ले के 10 लड़कों पर नामजद शराब के लिये रूपये मांगकर गाली गलौच, मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 10.05.2022 को इसकी लड़की निकिता कुरें की शादी थी धमतीरी से इसके घर बारात आये थे। पुनीराम कुरें बागतियों के स्वागत में लगा हुआ था कि रात करीब 11:30 बजे मोहल्ले का दिलीप जयसवाल, साहिल भारद्वाज और उसके साथी पुनीराम कुरें को आज तुम्हारे बेटी का शादी है हम लोगो को शराब पीना है शराब पीने के लिये 2000 रु दो कहकर रूपये मांगे। तब पुनीराम अभी मेरे पास रूपये नहीं है बारातियों को बिदा हो जाने दो कल शराब पिला दंगा। बोला इतने में सभी एक साथ मिलकर गन्दी गन्दी गाली गलौच कर लाठी डण्डा, हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। मोहल्ले



के लोग बीच बचाव किये। रिपोर्ट पर आरोपियों पर थाना कोतवाली(चौकी जुटमिल) में अप.क्र. 730/2022 धारा 147, 148, 294, 506, 323, 327 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की धरपकड़ की गई जिसमें आज दोपहर 2 विधि के जायसवाल, साहिल भारद्वाज और उसके साथी (1) साहिल भारद्वाज पिता दीपक भारद्वाज उम्र 20 साल निवासी काशीराम चौक गांधी नगर चौकी जुटमिल (2) दिलीप जयसवाल पिता मनहरण जयसवाल उम्र 20 वर्ष निवासी सराईभर चौकी जुटमिल को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपियों की सर्गामी से पतासाजी की जा रही है।

पुलिस हेड क्वार्टर से रायगढ़ पुलिस को मिली 3 हाइवे पेट्रोलिंग और 1 ह्युमन ट्रेफिकिंग सेल के लिए कार

एसपी आफिस में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना
सड़क दुर्घटना में कमी लाने और एक्सीडेंट में घायल को मदद पहुंचाने हाइवे पेट्रोलिंग होगी सहायक



रायगढ़। जिला पुलिस रायगढ़ को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर, छत्तीसगढ़ से 3 हाइवे पेट्रोलिंग और 1 ह्युमन ट्रेफिकिंग सेल के लिए अर्टिगा कार प्राप्त हुआ है, जिसे आज दिनांक 12.05.2022 को एसपी अभिषेक मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर पेट्रोलिंग के लिये रवाना किया गया है। वाहनों को पेट्रोलिंग पर रवाना करने के पूर्व

पुलिस अधीक्षक स्वयं वाहनों की टेस्ट ड्राइव किए मौके पर मौजूद मीडिया साथियों से चर्चा कर पुलिस अधीक्षक मीणा बताएं कि प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सभी जिलों में हाइवे पेट्रोलिंग के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ पुलिस को पुलिस मुख्यालय द्वारा तीन हाइवे

पेट्रोलिंग और एक ह्युमन ट्रेफिकिंग सेल के लिए अर्टिगा कार प्राप्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक बताएं कि कोरोना काल के बाद से सड़को पर यातायात का दबाव पहले की तरह है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी बढ़े हैं। ऐसे में हाइवे पेट्रोलिंग के लिये वाहनों का प्राप्त होना काफी अच्छा है जो हाइवे पर पेट्रोलिंग कर दुर्घटनाओं को रोकने व दुर्घटनाओं में घायल की

मदद के लिए सहायक होगा। हाइवे पेट्रोलिंग पर ट्रेफिक का स्टाफ रहेगा, हाइवे पेट्रोलिंग जल्द ही प्रमुख मार्गों में पेट्रोलिंग करते दिखेंगे।

पुलिस अधीक्षक बताये कि तीनों हाइवे पेट्रोलिंग अलग-अलग रूट पर रहेंगे, उन्होंने हाइवे पेट्रोलिंग वाहन को रायगढ़-खरसिया, रायगढ़-सारांगढ़ तथा रायगढ़-पथलगांव में पेट्रोलिंग करना बताये तथा ह्युमन ट्रेफिकिंग सेल के लिए प्राप्त अर्टिगा वाहन को उपयोग ह्युमन ट्रेफिकिंग सेल द्वारा मानव तस्करी की शिकायतों पर पीडित की मदद के लिये किया जावेगा। इस दौरान एसपी लखन पटले, एसएसपी(ट्राफिक) माहेश्वर नाग, एमटीओ राज कुमार राय, रक्षा टीम प्रभारी एसएसआई मंजु मिश्रा एवं ट्रेफिक थाना के स्टाफ मौजूद थे।

सारंगढ़ पुलिस की शराब रेड कार्यवाही में 70 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

केडार में घर पर छिपाकर रखी हुई 30 लीटर शराब की जब्त, आरोपी गिरफ्तार
पुसौर और कोसीर पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों से 10-10 लीटर महुआ शराब जब्त



रायगढ़। अज्ञेय रूप से महुआ शराब की बिक्री की सूचनाओं पर एसपी अभिषेक मीणा द्वारा थाना प्रभारी को उनके क्षेत्र में शराब की जांच एवं चोरी छिपे शराब बेचने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों पर कल दिनांक 11.05.2022 को थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम खुडुमांठा के चन्द्रदीप कुरें द्वारा अज्ञेय रूप से शराब बिक्री की सूचना पर चन्द्रदीप कुरें के घर जाकर रेड

किया गया। आरोपी को तलब कर बाहर बुलाया गया और अज्ञेय शराब बिक्री के संबंध में पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना स्वीकार किया और 100 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम लाकर पेश किया जिसमें करीब 70 लीटर अज्ञेय शराब किमती 14,000 रूपये जप्त किया गया। आरोपी पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी

आरोपी रामदयाल बनज पिता स्व बरतराम उम्र 35 वर्ष साकिन दहिदा थाना कोसीर के कब्जे से 02 जरीकेन में 10 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी पर धारा 34 (2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव एवं स्टाफ द्वारा आज दिनांक 12.05.2022 को शराब रेड कार्रवाई दौरान एक व्यक्ति को बालपुर टपरा की ओर से पैदल एक थैला में शराब लाते हुये मुखबिर सूचना पर ग्राम रायपाली चौपाल के पास पकड़ा गया है। पूछताछ पर आरोपी अपना नाम दयासागर यादव पिता संतोष यादव उम्र 60 वर्ष निवासी रायपाली थाना पुसौर जिला रायगढ़ का निवासी होना बताया जिसके पास थैला अंदर पालिथिन में 10 लीटर महुआ शराब पाया गया। आरोपी पर थाना पुसौर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव एवं स्टाफ द्वारा आज दिनांक 12.05.2022 को शराब रेड कार्रवाई दौरान एक व्यक्ति को बालपुर टपरा की ओर से पैदल एक थैला में शराब लाते हुये मुखबिर सूचना पर ग्राम रायपाली चौपाल के पास पकड़ा गया है। पूछताछ पर आरोपी अपना नाम दयासागर यादव पिता संतोष यादव उम्र 60 वर्ष निवासी रायपाली थाना पुसौर जिला रायगढ़ का निवासी होना बताया जिसके पास थैला अंदर पालिथिन में 10 लीटर महुआ शराब पाया गया। आरोपी पर थाना पुसौर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है।

नाबालिग बालिका को बरमकेला से उसका नजदीकी रिश्तेदार भगा ले गया रायपुर

रिपोर्ट के तत्काल बाद बरमकेला पुलिस ने युवती को रायपुर से लाया वापस
नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले युवक को पाँक्सो एक्ट में भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 09/05/2022 को थाना बरमकेला में थाना क्षेत्र का रहवासी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बालिका (16 साल) दिनांक 08/05/2022 को बिना बताए अचानक घर से कहीं चली गई है। घरवालों द्वारा उसके नजदीकी रिश्तेदार उसत राम मानिकपुरी पर बालिका को भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर गुम ईसान एवं संदेही पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के संबंध में मुखबिरों से जानकारी ली गई जिस पर संदेही के टाटोबंद रायपुर में होने

का पता चला। तत्काल बरमकेला पुलिस की एक टीम सड़क मार्ग से रायपुर जाकर संदेही को पता तलाश किया गया जिसके कब्जे में अपहृत बालिका मिली दोनों को थाना लाया गया। बालिका का महिला अधिकारी से कथन कराया गया, बालिका अपने कथन में उसके रिश्तेदार उसत राम मानिकपुरी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाना बताई। बालिका के कथन पर प्रकरण में धारा 366 IPC एवं 12 पाँक्सो एक्ट जोड़ा गया एवं आरोपी उत्सव कुमार मानिकपुरी गनपत दास मानिकपुरी उम्र 30 वर्ष निवासी थाना सरायपाली जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालिका एवं आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल प्रधान आरक्षक कुंवर टोप्यो, आरक्षक शिवानंद प्रधान, प्रकाश गिरी गोस्वामी, तुलेश्वर साहू, अशोक पटेल व महिला आरक्षक अंजना मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

कंन्ट्रक्शन कम्पनी के पेटी ठेकेदार ने इंजीनियर को धमकी देकर किया 15 लाख का डिमांड, हुआ गिरफ्तार

आरोपी का मोबाइल जब्त, इंजीनियर को दिये गये धमकी भरे चैट किया गया सुरक्षित
आरोपी ठेकेदार ने रेल्वे लाईन विस्तार कम्पनी से पहले ही तसलूा चुका है 24.75 लाख रुपये

रायगढ़। दिनांक 19.01.2022 को हंडी चौक रायगढ़ में रहने वाले नवीन शर्मा पिता विनोद शर्मा उम्र 24 वर्ष द्वारा थाना कोतवाली रायगढ़ में रायपुर के फर्म श्याम कंन्ट्रक्शन के प्रोपराइटर/पेटी ठेकेदार धीरज मित्तल द्वारा स्वयं को नुकसान पहुंचाकर झूठी रिपोर्ट लिखकर फंसा देने की धमकी देकर 15 लाख रुपये

की मांग करने के संबंध में आवेदन दिया गया, साथ ही रिपोर्टकर्ता बताया कि प्रोपराइटर/पेटी ठेकेदार धीरज मित्तल द्वारा इसकी कम्पनी से पहले ही 24,75,000/- रूपये प्राप्त कर चुका है, रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर आरोपित धीरज मित्तल के विरुद्ध अप.क्र. 113/2022 धारा 294, 506, 385 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध के बाद से कोतवाली पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसके टिकानों पर दबिश दिया जा रहा था जो गिरफ्तारी के भय से भूमिगत था। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा आरोपी गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाकर रखा गया था, जिनके द्वारा सूचना दिया गया कि

आरोपी धीरज मित्तल कम्पनी के इंजीनियर नवीन शर्मा से समझौता कराने के लिये रायगढ़ आया हुआ है जिसे तत्काल टीआई मनीष नागर द्वारा गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी से पूछताछ पर अपराध कबूल किया गया है जिससे उसके मोबाइल की जप्ती की गई है जिस पर इंजीनियर/पीडित नवीन शर्मा को व्हाटसअप/मैसेज पर दिये गये धमकी भरे चैट सुरक्षित है, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य की जप्ती कर प्रकरण में धारा 386 IPC धारा विस्तारित कर आरोपी धीरज मित्तल पिता घासीराम मित्तल उम्र 31 वर्ष निवासी बंगला 4 विनायक विहार DDU रायपुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी



गिरफ्तार,पतासाजी में निरीक्षक मनीष नागर, थाना प्रभारी कोतवाली, प्रधान आरक्षक नंदु सारथी, आरक्षक अभय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता नवीन शर्मा बताया कि मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल के प्रोजेक्ट रायगढ़ से झारसुगुडा चौथे रेल्वे लाईन विस्तार निर्माण कार्य में इंजीनियर व साईट इंजनर का कार्य विगत 06 माह

से कर रहा है। फर्म श्याम कंन्ट्रक्शन के प्रो. धीरज मित्तल जो पेटी कंटेक्टर है, रायगढ़ से हिमगिर तक रेल्वे लाईन में पुलिया निर्माण के कार्य के लिये बात करके कार्य प्रारंभ किया था उसे जिनना काम करेगा उसके हिसाब से भुगतान करने की बात हुई थी लेकिन धीरज मित्तल द्वारा निर्माण कार्य समय पर नहीं किया जा रहा था और अनावश्यक रूप से धमकी देकर रूपयों की मांग करता था। धीरज मित्तल के पास निर्माण सामग्री नहीं होने पर उसे मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल की कम्पनी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराया गया। धीरज मित्तल द्वारा धमकी देकर रूपये की मांग करने पर सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा

दिनांक 14.01.22 को 24,75,000/ रूपये धीरज मित्तल के फर्म श्याम कंन्ट्रक्शन के एकाउंट इंडसट्र बैंक लिमिटेड बिलासपुर के खाता में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद भी धीरज मित्तल द्वारा अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा था और रूपयों की मांग कर रहा था। दिनांक 19.01.22 को धीरज मित्तल अपने बिमारी के ईलाज के लिये रूपयों की जरूरत है कहकर बहाना करके धमकी दिया कि तुरंत 15 लाख रूपये नहीं देने पर कोई भी घटना कर अपने आप को नुकसान पहुंचाकर झूठी रिपोर्ट लिखाकर फंसा देगा। रिपोर्टकर्ता के लिखित आवेदन पर आरोपी धीरज मित्तल पर उद्दाम का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।